

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 149/17-18

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
23.12.17	आवेदक सोमरा उराँव, उर्फ सोमा उराँव, पिता स्व०मुदु उराँव, जाति-उराँव (अनु.ज.जा.), ग्राम-नन्दपुर, पोस्ट-मनोहरपुर, थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-नन्दपुर, खाता नं०-214, प्लॉट नं०-758, रकवा-0.24 ए०, क्रेता बालेमा सुरीन, पिता-श्री श्याम सुरीन, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-नन्दपुर, पोस्ट-मनोहरपुर, थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए"/"बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है। <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नन्दपुर</td><td>85</td><td>मनोहरपुर</td><td>214</td><td>758</td><td>0.24 ए०</td></tr> </tbody> </table> आवेदक को 2,00,000/- (दो लाख) रूपए की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का रकवा 0.24 ए० को कुल कीमत 2,00,000/- (दो लाख) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए"/"बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी मनोहरपुर से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 16.01.2018 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 17.01.2017 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित <i>[Signature]</i> 23.12.17 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर <i>[Signature]</i> 23.12.17 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में	नन्दपुर	85	मनोहरपुर	214	758	0.24 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में									
नन्दपुर	85	मनोहरपुर	214	758	0.24 ए०									

31.3.18

अभिलेख उपस्थापित । जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से निर्धारित अवधि में अप्राप्त है। क्रेता एवं विक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरुची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है।

Devi
31.3.18

भूमि सुधार उप समाहर्ता
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।